परियोजना का नामः— चमोली जनपद के विकासखण्ड गैरसैंण के नगर पंचायत गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण कार्य हेतु वनभूमि प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

जनपद चमोली के विकासखण्ड़ गैरसैंण के अन्तर्गत गैरसैंण नगर पंचायत पंम्पिंग पेयजल योजना अनुमानित लागत रू0 1400.44 लाख का निर्माण बाह्य सहायतित कार्यक्रम (ई.ए.पी.) के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु योजना के प्रथम चरण के लिए उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश सं0 823/उन्तीस(2)19–2(11–पे0)2019 दिनांक 28 जून 2019 द्वारा भूमि प्रबन्धन/वनभूमि स्वीकृति हेतु रू0 16.85 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है। भूमि प्रबन्धन/वनभूमि की स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य हेतु केन्द्र सरकार से वित्त पोषण किया जाना है। गैरसैंण नगर पंचायत में वर्तमान में 70 एल.पी.सी.डी. से कम पानी उपलब्ध हो रहा है। नगर क्षेत्र के मानक के आधार पर 135 एल.पी.सी.डी. की दर से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की शासन की नीति है, साथ ही इस योजना से विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण को भी पेयजल की सुविधा उपलबध करायी जानी है। योजना की डिजाईन अवधि आगामी 30 वर्ष अर्थात वर्ष 2052 रखी गयी है तथा उक्त डिजाईन वर्ष में 27298 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। वर्तमान में नगर पंचायत गैरसैंण के 07 (सात) वार्ड एवं विधानसभा परिसर गैरसैंण सहित लगभग 18196 जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध होगा। इस योजना के निर्माण से क्षेत्र की जनता को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस परियोजना हेतु 1.1463 हे0 वन पंचायत भूमि वन पंचायत तलगांव, वन पंचायत मरोड़ा एवं वन पंचायत परवाड़ी में चिन्हित की गयी है। प्रस्तावित भूमि में वन सम्पदा को क्षति नहीं होनी है। अतः उक्त कार्य जनहित में किया जाना अति आवश्यक है।

Executive Engineer
Constuction Division
अधिशासी अभियन्ता
Uttarakhand Pay Jal Nigam
Karanprayag (Chamoli)